

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर  
राजस्व वाद 03/2018 (2018/00001)

1. बच्छराज पुत्र रामचन्द्र उर्फ रायचन्द्र निवासी एकलसिंहा तहसील केकडी जिला अजमेर।  
----वादी

♣ बनाम ♣

1. स्वर्गीय श्री उगमा पुत्र रामा बैरवा के वारिसान  
1/1. श्री जगदीश पुत्र स्व. श्री उगमा  
1/2. श्रीमति सीता देवी पत्नी स्व. श्री उगमा  
1/3. श्रीमति रामकन्या पुत्री स्व. श्री उगमा
2. स्वर्गीय श्री गोपाल पुत्र हरनाथ बैरवा के वारिसान  
2/1. श्री धनराज पुत्र स्व. श्री गोपाल  
2/2. श्री सुरज पुत्र स्व. श्री गोपाल  
2/3. मनराज पुत्री स्व. श्री गोपाल  
2/4. नरमा पुत्री स्व. श्री गोपाल
3. बन्नाराम पुत्र हरनाथ
4. बैजनाथ पुत्र हरनाथ
5. गोकली पत्नी गोवर्धन
6. सत्यनारायण पुत्र गोवर्धन
7. चन्द्रकला पुत्री गोवर्धन
8. सुशीला पुत्री गोवर्धन समस्त जाति बैरवा निवासीगण एकलसिंहा तहसील केकडी जिला अजमेर।
9. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील केकडी जिला अजमेर।
10. श्रीमान उपपंजीयक महोदय केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

---- प्रतिवादीगण

11. छग्गु पत्नी रामचन्द्र उर्फ रायचन्द्र
12. गीता पुत्री रामचन्द्र उर्फ रायचन्द्र
13. सत्यार पुत्री रामचन्द्र उर्फ रायचन्द्र
14. सम्पत पुत्री रामचन्द्र उर्फ रायचन्द्र समस्त जाति बैरवा निवासीगण एकलसिंहा तहसील केकडी जिला अजमेर।

—प्रफोर्मा प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53,88,89,188 राज.काश्तकारी अधिनियम


उपस्थित:-

1. हनुमान प्रसाद शर्मा—वकील वाद
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार केकडी।

आदेश

दिनांक 14.02.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम वाके ग्राम एकलसिंहा तहसील केकडी के खाता संख्या नया पुराना 4-4 के खसरा नम्बर 812, खाता संख्या 191-190 खसरा नम्बर 813, खाता संख्या 58-61 खसरा नम्बर 816 का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 25.07.2022 को जारी कर बटवारा करने हेतु तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार केकडी ने बटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:-



| क.स. | नाम खातेदार  | खसरा नंबर      | रकबा          | किस्म |
|------|--|----------------|---------------|-------|
| 1    | गोकली पत्नि गोवर्धन 1/16 कौम बैरवा रहिन वीओबी जूनियां, धनराज पुत्र गोपाल 1/16, निरमा कुमारी पुत्री गोपाल 1/16, बैजनाथ पुत्र हरनाथ 1/4 बैरवा, वन्नाराम पुत्र हरनाथ 1/4, मनराज पुत्री गोपाल 1/16, सत्यनारायण पुत्र गोवर्धन 3/16 रहिन वीओबी, सूरज पुत्र गोपाल 1/16 कौम बैरवा सा.देह खातेदार | 813/1          | 0.22          |       |
|      |  | कित्ता 1       | रकबा 0.22 है0 |       |
| 2    | बछराज पुत्र रामचन्द्र उर्फ रामचन्द्र, छगु पत्नि रामचन्द्र उर्फ रामचन्द्र, गीता, सप्यार, सम्पत्ति पुत्रियां रामचन्द्र उर्फ रामचन्द्र कौम बैरवा सा.देह खातेदार   | 813/2<br>812/2 | 0.11<br>0.12  |       |
|      |  | कित्ता 2       | रकबा 0.23 है0 |       |
| 3    | जगदीश पुत्र उगमा बैरवा सा.देह खातेदार  | 812/1          | 0.25          |       |
|      |  | कित्ता 1       | रकबा 0.25 है0 |       |

तहसीलदार केकडी द्वारा अवगत कराया गया कि खसरा नम्बर 816 रकबा 0.06 हैक्ट वादी बछराज पुत्र रामचन्द्र उर्फ रामचन्द्र के नाम दर्ज होकर वादी ने बैचान कर दी है, शेष खसरा नम्बर 812, 813 का बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर उपरोक्तानुसार प्रस्तुत किया गया है। पक्षकारान बछराज पुत्र रामचन्द्र, जगदीश पुत्र उगमा, गोकली पत्नि गोरधन, बैजनाथ पि. हरनाथ, वन्नाराम पुत्र हरनाथ, सत्यनारायण पुत्र हरनाथ मौके पर उपस्थित रहे। वकील पक्षकारान को सुना गया।

वकील वादी ने वादपत्र मे अंकित कथनो को दोहराया तथा प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर पत्रावली में नोट अंकित किया एवं बंटवारा किये जाने हेतु सहमति जाहिर की।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दरतावेजात व तहसीलदार केकडी द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया। तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार बंटवारा किया जाता है:-

| क.स. | नाम खातेदार  | खसरा नंबर      | रकबा          | किस्म |
|------|--|----------------|---------------|-------|
| 1    | गोकली पत्नि गोवर्धन 1/16 कौम बैरवा रहिन वीओबी जूनियां, धनराज पुत्र गोपाल 1/16, निरमा कुमारी पुत्री गोपाल 1/16, बैजनाथ पुत्र हरनाथ 1/4 बैरवा, वन्नाराम पुत्र हरनाथ 1/4, मनराज पुत्री गोपाल 1/16, सत्यनारायण पुत्र गोवर्धन 3/16 रहिन वीओबी, सूरज पुत्र गोपाल 1/16 कौम बैरवा सा.देह खातेदार | 813/1          | 0.22          |       |
|      |  | कित्ता 1       | रकबा 0.22 है0 |       |
| 2    | बछराज पुत्र रामचन्द्र उर्फ रामचन्द्र, छगु पत्नि रामचन्द्र उर्फ रामचन्द्र, गीता, सप्यार, सम्पत्ति पुत्रियां रामचन्द्र उर्फ रामचन्द्र कौम बैरवा सा.देह खातेदार   | 813/2<br>812/2 | 0.11<br>0.12  |       |
|      |  | कित्ता 2       | रकबा 0.23 है0 |       |
| 3    | जगदीश पुत्र उगमा बैरवा सा.देह खातेदार  | 812/1          | 0.25          |       |
|      |  | कित्ता 1       | रकबा 0.25 है0 |       |

तहसीलदार केकडी राजस्व रेकार्ड जमावंदी मे अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)  
उपखण्ड अधिकारी  
केकडी,

गूल वाद में अंतिम डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर  
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)  
पीठासीन अधिकारी:- विकास पंचोली (आर.ए.एस)  
उन्वाज

1. बच्छराज पुत्र रामचन्द्र उर्फ रायचन्द निवासी एकलसिंहा तहसील केकडी जिला अजमेर।  
-----वादी

♣ बनाम ♣

1. स्वर्गीय श्री उगमा पुत्र रामा बैरवा के वारिसान  
1/1. श्री जगदीश पुत्र स्व. श्री उगमा  
1/2. श्रीमति सीता देवी पत्नी स्व. श्री उगमा  
1/3. श्रीमति रामकन्या पुत्री स्व. श्री उगमा
2. स्वर्गीय श्री गोपाल पुत्र हरनाथ बैरवा के वारिसान  
2/1. श्री धनराज पुत्र स्व. श्री गोपाल  
2/2. श्री सुरज पुत्र स्व. श्री गोपाल  
2/3. मनराज पुत्री स्व. श्री गोपाल  
2/4. नरमा पुत्री स्व. श्री गोपाल
3. बन्नाराम पुत्र हरनाथ
4. बैजनाथ पुत्र हरनाथ
5. गोकली पत्नी गोवर्धन
6. सत्यनारायण पुत्र गोवर्धन
7. चन्द्रकला पुत्री गोवर्धन
8. सुशीला पुत्री गोवर्धन समस्त जाति बैरवा निवासीगण एकलसिंहा तहसील केकडी जिला अजमेर।
9. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील केकडी जिला अजमेर।
10. श्रीमान उपपंजीयक महोदय केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

----- प्रतिवादीगण

11. छगु पत्नी रामचन्द्र उर्फ रायचन्द
12. गीता पुत्री रामचन्द्र उर्फ रायचन्द
13. सत्यार पुत्री रामचन्द उर्फ रायचन्द
14. सम्पत पुत्री रामचन्द्र उर्फ रायचन्द समस्त जाति बैरवा निवासीगण एकलसिंहा तहसील केकडी जिला अजमेर।

-----प्रफोर्मा प्रतिवादीगण

वाद पत्र:- अंतर्गत धारा अन्तर्गत धारा 53,88,92ए,188 राज. कारतकारी अधिनियम  
मुकदमा नम्बर:- राजस्व वाद 03/2018 (2018/00001)

निर्णय दिनांक:- 14.02.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकडी बहाजिरी श्री हनुमान प्रसाद शर्मा वकील वादी, पैरोकार सरकार जयें तहसीलदार केकडी हाजिर मुद्दावालाह पेश कर हुक्म दिया जाता है वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53,88,92ए,188 राज. कारतकारी अधिनियम का दावा स्वीकार किया जाकर ग्राम एकलसिंहा तहसील केकडी के खाता संख्या नया पुराना 4-4 के खसरा नम्बर 812, खाता संख्या 191-190 खसरा नम्बर 813, खाता संख्या 58-61 खसरा नम्बर 816 में निर्णय व प्रारम्भिक डिकरी दिनांक 25.07.2022 की पालना में बटवारा तहसीलदार केकडी द्वारा निम्नानुसार प्रस्तुत किया है -

| क्र.स. | नाम खातेदार  | खसरा नंबर      | रकबा          | किस्म |
|--------|--|----------------|---------------|-------|
| 1      | गोकली पति गोवर्धन 1/16 कौम बैरवा रहिन बीओबी जूनियां, धनराज पुत्र गोपाल 1/16, निरमा कुमारी पुत्री गोपाल 1/16, बैजनाथ पुत्र हरनाथ 1/4 बैरवा, बन्नाराम पुत्र हरनाथ 1/4, मनराज पुत्री गोपाल 1/16, सत्यनारायण पुत्र गोवर्धन 3/16 रहिन बीओबी, सूरज पुत्र गोपाल 1/16 कौम बैरवा सा.देह खातेदार | 813/1          | 0.22          |       |
|        |  | किता 1         | रकबा 0.22 है0 |       |
| 2      | बच्छराज पुत्र रामचन्द्र उर्फ रामचन्द, छगु पति रामचन्द्र उर्फ रामचन्द, गीता, सय्यार, सम्पति पुत्रियां रामचन्द्र उर्फ रामचन्द कौम बैरवा सा.देह खातेदार   | 813/2<br>812/2 | 0.11<br>0.12  |       |
|        |  | किता 2         | रकबा 0.23 है0 |       |
|        |  | 812/1          | 0.25          |       |
| 3      | जगदीश पुत्र उगमा बैरवा सा.देह खातेदार  | किता 1         | रकबा 0.25 है0 |       |

अतः उपरोक्तानुसार बटवारा स्वीकार किया जाता है तहसीलदार केकडी राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का अंतिम डिकरी पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

बीज ..... मुबलिक ..... बाबत ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह ..... को अदा करे  
वसूलयाबी तक ..... की अदा करे  
बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.02.2023 को जारी की गई

मुहर

ओहदा

| मुददई                | रूपया | पैसा  | मुदयलाह              | रूपया | पैसा  |
|----------------------|-------|-------|----------------------|-------|-------|
| स्टाम्प अर्जी दावा   | 0     | 0     | स्टाम्प अर्जी दावा   | 0     | 0     |
| स्टाम्प वकालतनामा    | ..... | ..... | स्टाम्प वकालतनामा    | ..... | ..... |
| स्टाम्प वजह सबूत     | ..... | ..... | स्टाम्प वजह सबूत     | ..... | ..... |
| महनताना वकील         | ..... | ..... | महनताना वकील         | ..... | ..... |
| खर्चा गावाहन         | ..... | ..... | खर्चा गावाहन         | ..... | ..... |
| फीस कनिश्चनर         | ..... | ..... | फीस कनिश्चनर         | ..... | ..... |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | ..... | ..... | बाबत इजराय हुक्मनामा | ..... | ..... |
| मुत्फरिक             | ..... | ..... | मुत्फरिक             | ..... | ..... |
| मीजान                | 0     | 0     | मीजान                | 0     | 0     |

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।